इकोलॉजिकल पार्क में आग, झुलसे पेड़-पौधे :18 दिन में दूसरी बड़ी आगजनी

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

भोपाल के लहारपुर स्थित इकोलॉजिकल पार्क में 18 दिन के अंदर दूसरी बड़ी आगजनी की घटना हुई। मंगलवार दोपहर में अंदर पड़े कचरे में आग लगी और देखते ही देखते पार्क में फैल गई। इससे सैकड़ों पेड़-पौधे झुलस गए। आसपास के फायर स्टेशन से दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

दोपहर 1 बजे पार्क में आग लगी। आसपास से 4 दमकलें मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। इधर, आग घरों के पीछे तक पहुंच गई। इसलिए लोग पानी से भरे बर्तन लेकर दौड़ पड़े। जिससे आग समय पर काबू हो सकी, वरना घरों तक भी आग पहुंच सकती थी।

सैकड़ों पेड़-पौधे झुलसे

आग लगने से सैकड़ों पौधे झुलस गए। वन विभाग का इकोलॉजिकल पार्क 1500 हेक्टेयर एरिया में फैला है। यहां सुबह-शाम हजारों लोग घूमने पहुंचते हैं। आसपास हरियाली सबका मन मोह लेती है।

अंदर पड़े कचरे में आग लगी और देखते ही देखते पार्क में फैल गई। इससे सैकड़ों पेड़-पौधे झुलस गए।

अंदर पड़े कचरे में आग लगी और देखते ही देखते पार्क में फैल गई। इससे सैकड़ों पेड़-पौधे झुलस गए।

कचरा फेंक जाते हैं लोग

रहवासी उमाशंकर तिवारी ने बताया कि पूरे पार्क में कचरा फैला हुआ है। नगर निगम और वन विभाग का ध्यान नहीं है। इसी कचरे में आग लगी। पार्क में अलग-अलग जगहों पर पड़े कचरे में आग सुलगती रही।

हर साल लगती है आग

इस पार्क में हर साल आगजनी की घटना होती है। कभी नरवाई की वजह से आग लगती है, तो कभी कचरे के कारण। बावजूद न तो वन विभाग के अफसर अलर्ट हैं और न ही निगम कचरा उठाता है। 22 मार्च को भी बड़ी आग लग चुकी है।

इस पार्क से बाग मुगालिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स, लहारपुर, आसाराम नगर, ग्लोबल पार्क सिटी, अमलतास अपार्टमेंट्स रामायण सिटी, विवेकानंद परिसर, गौरीशंकर कौशल कैम्पस समेत कई रहवासी इलाके जुड़े हैं।

नैचुरल गैस कनेक्शन देने की प्लानिंग कर रोडमेप प्रस्तुत करें

आयुक्त खाद्य श्री शर्मा ने की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

हितग्राहियों को पाइप्ड नैचुरल गैस कनेक्शन देने की प्लानिंग कर इसका रोडमेप विभाग को शीघ्र प्रस्तुत करें। आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने यह निर्देश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की समीक्षा के दौरान दिये। प्रदेश में शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025 जारी की गई है। इन नीति के माध्यम से प्रदेश में जहां घर-घर गैस की पहुंच आसान होगी, वहीं वाहनों में स्वच्छ ईंधन भरने के लिये सीएनजी गैस स्टेशन का विस्तार होगा। नीति लागू होने से स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार होने के साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। इस नीति से प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधोसंरचना का निर्माण होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। शहरी गैस वितरण संस्थाओं के लिये सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

अभी तक 3.17 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन

समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब तक 3 लाख 17 हजार घरों में पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। इसी तरह 368 सीएनजी स्टेशन स्थापित किये गये हैं। आयुक्त खाद्य श्री शर्मा ने इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

भोपाल में महिला सहित दो तस्कर गिरफ्तार, 2.70 लाख का गांजा और मोबाइल जब्त

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने दो जगहों पर कार्रवाई करते हुए दो गांजा तस्करों को पकड़ा है। इसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। दोनों के पास से कुल 13.190 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,70,000 रुपए बताई जा रह है।

इस कार्रवाई में टेक्नो कंपनी का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दोनों आरोपी मजदूरी का कार्य करते हैं और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।

पहली कार्रवाई : महिला तस्कर गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि सुभाष नगर ब्रिज के पास बंद पेट्रोल पंप के समीप एक महिला लाल सलवार सूट में गांजा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर टीम मौके पर पहुंची और महिला को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम तनु शंकत पति विशाल शंकत, उम्र 18 वर्ष, निवासी बजरंग चौराहा, गंज मोहल्ला, सीहोर बताया। उसके पास मिले नीले रंग के थैले की तलाशी में 7.540 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। महिला को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि गोविंदपुरा स्थित कस्तूरबा अस्पताल के सामने सब्जी मंडी टीन शेड में एक युवक अपने बैग में गांजा लिए बैठा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्याएं

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया।जनसुनवाई में आए नागरिकों से 106 आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर एडीएम श्री भूपेन्द्र गोयल, श्री अंकुर मेश्राम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री सिंह ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

2 लाख 47 हजार 377 किसानों से 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूँ खरीदी : श्री राजपूत

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 2 लाख 47 हजार 377 किसानों से 21 लाख 36 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक लगभग 4000 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। किसान गेहूँ उपार्जन के लिये 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अभी तक जिला उज्जैन में 3 लाख 22 हजार 237, सीहोर में 3 लाख 46 हजार 973, देवास में 1 लाख 50 हजार 514, शाजापुर में 1 लाख 63 हजार 112, इंदौर में 1 लाख 15 हजार 427, भोपाल में 1 लाख 59 हजार 745, राजगढ़ में 1 लाख 27 हजार 499, मंदसौर 75 हजार 992, आगर मालवा में 73 हजार 77, धार में 50 हजार 443, विदिशा में 1 लाख 42 हजार 240, हरदा में 50 हजार 110, खण्डवा में 26 हजार 392, रतलाम में 36 हजार 831, नीमच में 12 हजार 869, नर्मदापुरम में 35 हजार 561, झाबुआ में 9003, रायसेन में 88 हजार 802, बैतूल में 7032, दमोह में 17 हजार 75, खरगौन में 988, गुना में 5388, सागर में 31 हजार 711, नरसिंहपुर में 10 हजार 560, छिंदवाड़ा में 2553, अशोकनगर में 3129, सिवनी में 24 हजार 973, सतना में 6382, शिवपुरी में 1829, मण्डला में 1109, छतरपुर 998, दतिया में 1244, अलीराजपुर में 70, श्योपुर में 940, ग्वालियर में 556, पन्ना में 437, भिंड में 351 और रीवा में 153, मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है।

सुन्दरिमा ग्रुप द्वारा जनसेवा के कार्यों के साथ-साथ शानदार किटी पार्टी का किया गया आयोजन

भोपाल। सुन्दरिमा ग्रुप द्वारा शहर में जनसेवा के कार्यों के साथ साथ शानदार किटी पार्टीज शहर के मिनाल के तब्बर हाउस भोपाल में राखी गई ! सभी महिलाएं प्रोफेशनल वर्किंग में हे सबका अलग अलग क्षेत्र में कार्य हे और प्रगति कर रही हैं इस महीने की किटी पार्टी की होस्ट ज्योति साहू ने किया पार्टी की थीम (रेट्रो) राखी उन्होंने बताया इस मॉर्डन जमाने में पुराने जमाने को भी अपनाना चाहिए पार्टी की ड्रेस यूनिक होती हे फैशन के दौर में ट्रेंडिंग फैशन लाना हमारा अंदाज हे कार्यक्रम होस्ट ज्योति साहू ने सभी सदस्य का स्वागत गिफ्ट देकर किया यहां शामिल महिलाएं प्रतिभा यादव,सोनम, वीना,अलीशा

भोपाल में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 858 में मिलेगा, 50 रुपए बढ़ने से महंगा हुआ

भोपाल। में मिलेगा। मंगलवार से इसी रेट पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिला। रेट बढ़ने के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया। विकासनगर झुग्गी बस्ती में चूल्हे पर रोटी बनाई तो बरखेड़ा पठानी चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सोमवार को केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी। नए रेट 8 अप्रैल से लागू हो गए। इससे मध्यप्रदेश में भी घरेलू गैस महंगी हो गई है। मंगलवार को प्रदेश के 5 बड़े शहर जैसे- भोपाल में 858 रुपए, इंदौर में 881 रुपए, ग्वालियर में 936 रुपए, जबलपुर में 859 रुपए और उज्जैन में 912 रुपए में सिलेंडर मिला। सबसे महंगी गैस भिंड और मुरैना में मिलेगी। मुरैना में अब 937 और भिंड में 936 रुपए रेट हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, आखिरी बार सरकार ने 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती थी।

बैरसिया रोड पर सड़क हादसा, ट्रॉली पलटी, ढलान से उतरने पर बिगड़ा संतुलन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

भोपाल के बैरसिया रोड पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गुनगा थाना क्षेत्र के गोंगा कलारा गांव के पास मुंडन संस्कार में जा रही ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 से 10 लोग घायल हो गए। ट्रॉली में सेन समाज के करीब 15 से 20 लोग सवार थे। घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। 10 संजीवनी 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू हुआ। ट्रॉली पलटने के बाद कई लोग उसके नीचे दब गए थे, जिन्हें ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। गुनगा थाना के सब इंस्पेक्टर एचएस वर्मा ने बताया कि सभी लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। ट्रॉली जैसे ही ढलान से नीचे उतरी, उसका संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई।

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5762/अ-6/2024-25

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती ममता उपाध्याय पत्नि श्री बृजभूषण उपाध्याय निवासी 16/110, मथुरावाली गली, महावीरपुरा मोरेना म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP43IGR16952025A100169821 दिनांक 25/03/25 ग्राम पिपलिया कुंजरगढ़ प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 172, 173/1, 193/2, 174, 175, 176, 186, 187, 188, 189, 190/1, 190/2, 191, 192,193 194,195/1, 195/2 रकबा 85.87 वर्गमीटर भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवदेक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 23/04/25 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08/4/2025 को जारी किया गया ।

तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 4705/अ-6/2024-25

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक कृष्ण कुमार राय आ. जगदीश नारायण राय निवासी म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय क्र./वसीयत/दान दिनांक ग्राम महाबडिया प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 251/3, 252/3, 252/4, 259/3, 259/5, 299/266/3 रकवा 71 वर्गमटिर स्थित भूखंड 401 भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवदेक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 15/04/24 को या पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25/3/2024 को जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत रतनपुर सड़क तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 129/अ-27/2024-25

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती ललिता बाई मीना पत्नी महेन्द्र मीना निवासी सेमरीकला म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अमरावतकला प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 97 रकवा 1.1000 हे. भूमि का बटवारा राजस्व अभिलेखों में आवदेक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 11/04/2025 को या पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक / /2025 को जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

(पुराना जिला पंचायत भवन, जिला भोपाल)

क्रमांक -0063/बी-121/2024-25
नजूल/प्रवा./बैरा.वृत्त/2024
भोपाल दिनांक 8/4/25

:: पेपर विज्ञप्ति ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोरम बाई पत्नि बादाम सिंह, ममता बाई पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह दोनों निवासी ग्राम अमझरा तहसील हुजूर जिला भोपाल एवं विक्रम सिंह आ. श्री खुमान सिंह आ. निवासी ग्राम डुगरिया राम जानकी मंदिर के पास, तहसील बैरसिया जिला भोपाल के द्वारा ग्राम पलासी स्थित खसरा क्रमांक 121/2, 123/2, 134-136/2 कुल रकबा 22.98 एकड़ भूमि का फौती नामांतरण माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल संत हिरदारामनगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के प्रकरण क्रमांक 0029/अपील / 2024-2025 में पारित आदेश दिनांक 22/01/2025 के पालन में रिकॉर्ड अद्यतन कराने विषयक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकरण इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-0063/बी-121/2024-2025 विचाराधीन है। आवेदित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में 121/2/1 रकबा 0.607 हेक्टेयर एवं 121/2/1/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर, 121/2/2 रकबा 0.364 हैक्टेयर, 121/2/3 रकबा 0.364 हेक्टेयर भूमि गंगा बाई विधवा विशाल सिंह ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी एवं खसरा क्रमांक 123/2 रकबा 2.826 हेक्टेयर, 124 रकबा 1.550 हेक्टेयर भूमि प्रतीक गृह निर्माण सह. संस्था मर्या. भोपाल द्वारा अध्यक्ष समीना मुबीन निवासी इतवारा भोपाल के नाम अविभाजित में दर्ज है।

अतः उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस के भीतर स्वयं अथवा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है, तत्पश्चात प्राप्त आपत्ति ग्राहा योग्य नहीं होगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08/04/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी ।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 2737/अ-6/2024-25

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **5/4/2025** को समय दोपहर 3:00 बजे स्थान **न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल** के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम नेवरी, 2. खसरा नंबर 83/2/3, 3. क्षेत्रफल 0.2020 हेक्टेयर, 4. उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) बिलाल अहमद/सगीर अहमद।

आज दिनांकः 8/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़) वृत्त भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 4759/अ-6/2024-25

::: इश्तहार :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक शोभा रविन्द्र मानने पत्नी रविन्द्र मानने भोपाल म.प्र. ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम 225/1, 252/3, 252/4, 259/4 व अन्य खसरों पर स्थित भूमि के अंश भाग पर स्थित भूखण्ड क्रमांक 13/302 क्षेत्रफल 71.00 वर्गमीटर का रजिस्टर्ड/विक्रय पत्र 28/06/2016 के आधार पर नामान्तरण किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-604/अ-6/2024-25
दिनॉक 05/04/2025

प्रति,
सज्जाद खान
नि. 36/2 बाग दिलकुशा भोपाल
नजूल शहर वृत्त, भोपाल

आवेदक सज्जाद खान आत्मज सलीम खान निवासी 36/2 बाग दिलकुशा- ऐशबाग भोपाल द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र क्रमांक एम.पी.059712024 ए1151479 दिनांक 06/02/2024 एक किता मकान नं 10 जो कि खसरा क्रमांक 816/1 जो कि बाग दिलकुशा में स्थित जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफिट किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता -1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः आप उक्त प्रकरण में 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त,भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.

प्र. क्र. आरएस /444/0760/6305/25

इश्तहार

आवेदक राजेश कुमार चौरसिया आ. रामस्वरूप चौरसिया निवासी के. एन. प्रधान बाबडियाकलां भोपाल द्वारा ग्राम बैरागढ चीचली स्थित खसरा क्र. 589/5 क्षेत्रफल 0.09 हे. हेतु भूखंड/मकान नं. आवासीय/गैर आवासीय कालोनी में का विक्रय पत्र/फौती/वसीयतनामा/ अधिकार त्याग पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 22/04/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 04/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला- भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.

प्र. क्र. 6450/अ-6/24-25

इश्तहार

आवेदक ऐश्वया सक्सेना आ. श्री अजय सक्सेना निवासी भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम हिनोतिया आलम स्थित खसरा क्र. 446,447,449 का अंश भाग प्लाट क्र. बी-5, बी-6, क्षेत्रफल 1050 वर्गफिट पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 03/04/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 18/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अति. तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला- भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 4705/अ-6/2024-25

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक कृष्ण कुमार राय आ. जगदीश नारायण राय निवासी म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय क्र./वसीयत/दान दिनांक ग्राम महाबडिया प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 251/3, 252/3, 252/4, 259/3, 259/5, 299/266/3 रकवा 71 वर्गमटिर स्थित भूखंड 401 भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवदेक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 15/04/25 को या पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25/3/2025 को जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल